



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 12 राँची, बुधवार
15 चैत्र, 1945 (श०)
5 अप्रैल, 2023 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग 1 —नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 124-129 और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।	भाग-4 —झारखण्ड अधिनियम
भाग 1-क —स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।	भाग-5 —झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।
भाग 1-ख —मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।	भाग-7 —संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।
भाग 1-ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।	भाग-8 — भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा	भाग-9 — विज्ञापन ---
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।	भाग-9-क —वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग 3 —भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।	भाग-9-ख —निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।
	पूरक-- ...
	पूरक "अ" ...

भाग 1**नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ****स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग****संकल्प**

27 मार्च, 2023

संख्या- HMEF_2023_21(4)--

विषय: केन्द्र प्रायोजित आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) योजना अन्तर्गत शत प्रतिशत अनुदान पर राज्य में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संचालन हेतु आवश्यक पदों के सृजन के संबंध में

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का गठन 27 सितम्बर, 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गयी घोषणा के आलोक में किया गया, जिसका संचालन सम्पूर्ण भारत वर्ष में किया जाना है।

2. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) का उद्देश्य राज्य के सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों को डिजिटल के माध्यम से जोड़ते हुए संचालित किया जाना है जिसके माध्यम से सभी चिकित्सकों, चिकित्सा कर्मियों एवं राज्य के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य से संबंधित हर समाधान हेतु डिजिटल से जोड़ा जाना है।

3. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, नई दिल्ली के पत्रांक- S-12019/95/2020-Part-1 दिनांक-14/06/2021 के संदर्भ में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या- 01/स्था०मु०-01-16/2021-175(1) स्वा० दिनांक-29/06/2021 के द्वारा झारखण्ड राज्य में इस डिजिटल मिशन का कार्य आरम्भ किया गया है।

4. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के DO No. S-12019/128/2021-NDHM, दिनांक-08/03/2022 के द्वारा यह सूचित किया गया है कि केन्द्र सरकार के द्वारा समस्त भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में कुल पाँच वर्षों की अवधि के दौरान आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक मानवबल के अलावा प्रचार-प्रसार तथा प्रशिक्षण संबंधी सुविधाएँ शत-प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करायी जायेगी (परिशिष्ट-1)।

5. देश के प्रत्येक राज्य में इस डिजिटल मिशन के संचालन हेतु मुख्यालय स्तर पर प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट (PMU) की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इस क्रम में जनसंख्या के आधार पर झारखण्ड राज्य को B श्रेणी में रखा गया है।

6. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में केन्द्र प्रायोजित आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण, नई दिल्ली द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, झारखण्ड अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के किसी भी प्रकार के मरीजों का हेल्थ आई०डी० बनाना, हेल्थ रजिस्ट्री (हेल्थ वर्कर्स रजिस्ट्री, हेल्थ केयर फेसिलिटी रजिस्ट्री), हेल्थ क्लेम्स, हेल्थ डाटा एनालाईटिक्स, ओपेन टेली मेडिसिन एवं ई-फार्मसी नेटवर्क की व्यवस्था हेतु चलाये जाने वाले इस मिशन का मार्ग दर्शिका के अनुसार निम्नलिखित पदों के सृजन की स्वीकृति दी जाती है।

क्र.	प्रस्तावित पद	प्रभाग	वेतनमान	पदों की संख्या
1	Joint Director, IT	IT	Government Officer not below the pay scale of 15600-39100 + grade pay 6600 or Pay Level 10 (if 7th CPC is applicable) or Wages according to Sankalp issued by Dept. of Finance, Govt. of Jharkhand up to Rs.2,00,000/-per head per month.	1
2	Joint Director, Coordination	Coordination		1
3	Joint Director, Admin & Support	Admin. and Support		1

	प्रस्तावित पद	प्रभाग	वेतनमान	पदों की संख्या
Programme Management Unit (PMU)				
4	Project Manager	IT	1,20,000	1
5	HMIS Manager	IT	1,00,000	1
6	Information Security officer	IT	1,00,000	1
7	Business Analyst	IT	50,000	2
8	MIS/ Data Analyst	IT	50,000	2
9	Project Manager	Coordination	1,20,000	1
10	Capacity building officer	Coordination	1,00,000	1
11	IEC Expert	Coordination	1,00,000	1
12	Project coordinators	Coordination	50,000	10
13	Grievance Redressal Officer	Admin & Support	1,20,000	1
14	Grievance Redressal executive	Admin & Support	1,00,000	2
15	Project coordinators	Admin & Support	50,000	10

7. क्रमांक 01 से 03 तक सृजित पदों के लिए झारखण्ड सरकार अंतर्गत सेवास्त पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जा सकती है। उक्त पद हेतु स्वीकृत सरकारी वेतनमान लागू होगा।

ii. क्रमांक 01 में संयुक्त निदेशक %IT% हेतु सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेन्स विभाग, झारखण्ड सरकार एवं क्रमांक 02 में संयुक्त निदेशक (Coordination) तथा 03 में संयुक्त निदेशक (Admin & Support) के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत कार्यरत पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्ति किया जा सकेगा। प्रतिनियुक्त किये जाने वाले पदाधिकारी को कम से कम 03 वर्ष का संबंधित क्षेत्र में कार्यानुभव अनिवार्य होगा।

iii. प्रसंगाधीन पदों के विरुद्ध उपर्युक्त सरकारी पदाधिकारियों की सेवाएँ अप्राप्त रहने की स्थिति में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा मार्गदर्शिका में वर्णित नियुक्ति प्रक्रिया अपनाते हुए वांछित सेवाएँ प्राप्त की जा सकेगी।

8. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा निर्गत मार्गदर्शिकानुसार क्रमांक 04 से 15 तक में वर्णित पदों को संविदा पर/Outsourcing/NICSI के माध्यम से विधिवत् सेवाएँ प्राप्त की जायेगी।

उक्त पदों के लिए मार्गदर्शिकानुसार निर्धारित अर्हता, अनुभव, मासिक मानदेय आदि समरूप रहेंगे।

9. प्रशासी पदवर्ग समिति की अनुशंसा के आलोक में सभी पदों पर नियुक्ति हेतु Merit List तैयार किया जायेगा, जिसमें 80% Educational Qualification तथा अधिकतम 20% Interview पर रखा जायेगा।

10. मार्गदर्शिका अनुसार संविदा के आधार पर सेवाएँ प्राप्त किये जाने के क्रम में वित्त विभाग के पत्रांक-4569/वि0, दिनांक-05/07/2002 का अनुपालन किया जायेगा।

11. उपर्युक्त कंडिका-6 में वर्णित पदों के सृजन के फलस्वरूप State Officer Part-I हेतु प्रत्येक माह ₹0 6,00,000/- तथा प्रति वर्ष ₹0 72,00,000/- मात्र एवं State Officer Part- II (PMU) के लिए प्रत्येक माह ₹0 21,60,000/- तथा प्रति वर्ष ₹0 2,59,20,000/- कुल (72,00,000 - 2,59,20,000) ₹0 3,31,20,000/- (तीन करोड़ एकतीस लाख बीस हजार रुपया) मात्र का व्यय संभावित है, जिसका शत प्रतिशत वहन अगले पाँच वर्षों तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा उपलब्ध करायी गई निधि से किया जाएगा। उक्त अवधि के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

12. उपर्युक्त पर दिनांक 15.03.2023 को मंत्रिपरिषद्, झारखण्ड की बैठक के मद संख्या-21 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जनसाधारण की जानकारी के लिए सरकारी राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं SHREYASHI SINGH अन्य नाम SHREYASHI पिता JUSTICE RAJESH KUMAR, शपथ पत्र सं० 2148, दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 के अनुसार SHREYASHI SINGH के नाम से जानी जाऊँगी।

SHREYASHI SINGH एवं SHREYASHI दोनों एक ही महिला का नाम है।

I SHREYASHI SINGH, other name SHREYASHI Daughter of JUSTICE RAJESH KUMAR, According to Affidavit No. 2148, Dated 16th December, 2022 will be known as SHREYASHI SINGH.

SHREYASHI SINGH and SHREYASHI, both are the same person.

RESIDENT OF - NALANDA COLONY, BARIATU,
P.O. & P.S.- BARIATU,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834009
JHARKHAND.

मैं SHREYANSH SINGH अन्य नाम SHREYANSH पिता JUSTICE RAJESH KUMAR, शपथ पत्र सं० 2149, दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 के अनुसार SHREYANSH SINGH के नाम से जाना जाऊँगा।

SHREYANSH SINGH एवं SHREYANSH दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

I SHREYANSH SINGH, other name SHREYANSH Son of JUSTICE RAJESH KUMAR, According to Affidavit No. 2149, Dated 16th December, 2022 will be known as SHREYANSH SINGH.

SHREYANSH SINGH and SHREYANSH, both are the same person.

RESIDENT OF - NALANDA COLONY, BARIATU,
P.O. & P.S.- BARIATU,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834009
JHARKHAND.
